महालेखाकार का कार्यालय (लेखा एवं हक),
आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना, हैदराबाद - 500 004.
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A & E)
ANDHRA PRADESH AND TELANGANA, HYDERABAD - 500 004.

PM/VI/2014-15/OG-GO/

दिनांक / Date :

To
The Director of Treasuries and Accounts
Telengana
4th Floor Rajaram Building
Tilak Road Abids
HYDERABAD

Sir,

Sub: Grant of DR @ 107% from 01.07.2014.
Ref: 1. Govt of Bihar No 3A-3/DR/08-2013-9556 V dt 17.10.2014.
2. Govt. of Bihar No.3A-3/DR/08-2013-9557 V dt.17.10.2014
2. Accountant General (A&E) Bihar lr No. Pen-09-792 dt12.11.2014

***

I am to enclose herewith a Special Seal Authority issued by the Accountant General (A&E), Bihar, Patna in the reference cited. The same is being placed in the official website of this office (www.ag.ap.nic.in). You are requested to direct all the District Treasury Officers to download the orders and take necessary action at the earliest to minimize hardship to the pensioners.

Yours faithfully

Sr. Accounts Officer

Copy to

1. The Joint Director
   Pension Payment Office
   MJ Road, Nampally
   HYDERABAD for information and necessary action.

Accounts Officer

दू.भ./ Phone : 040 - 23236810 - 19
फैक्स/ Fax : 040 - 23232441
ई.मेल/ Email : agaeandhrapradesh@cag.gov.in
website : http://ag.ap.nic.in

Spl recd

(35)

301692
9/12/14

Ef 1851825 11
19/11/14

Office of the Accountant General (A&E)
INWARD
25 NOV 2014
No.
Andhra Pradesh & Telangana
Hyderabad-500 004.

THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), BIHAR, PATNA

Fiscal Authority No: Pen-09-792 Dated 12/11/14

Accountant General (A&E) – II
Andhra Pradesh
Hyderabad-500463

of Dearness relief of State Government Pensioners,
Govt. Resolution No.
(1) Increased DA 100% to 107% w.e.f 1.7.14
(2) अपुनरीक्षित वेतनमान में पेंशनभोगियों को 200% से 212% की महंगाई राहत की स्वीकृति

...forward herewith Hindi/English version of copies of Govt. of Bihar Resolution No. .... Dated .... for your needful action. ...re requested to circulate this order to all Treasuries/Sub Treasuries and ...anks in your Jurisdiction for necessary action.

...acknowledge the receipt of the same with enclosure.

(1) संख्या-3ए-3वे०पु०(गठ)-08/2013-9556 दि० 17.10.14
(2) संख्या-3ए-3वे०पु०(गठ)-08/2013-9557 दि० 11

...tion No.

VI

92
8/12

Yours faithfully

Sr. Accounts Officer, Bihar, Patna

PM

...-IX-Spl.-Bihar

Date

...for information and necessary action to:

...Secretary to the Govt. of Bihar, Finance Deptt., Patna.
...Secretary, Bihar Pensioner Samaj, Vidya Vasini Sadan, ...Krishna Puri, Patna-800013.
...Officer EI.A./Pension-I.

Sr. Accounts Officer, Bihar, Patna

संख्या–3ए–3–वे०पु०–(भत्ता)–08/2013–**9556–वि0**

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

पटना,दिनांकः–**17/10/2014**

विषयः– राज्य सरकार के पेंशन भोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों को दिनांक–01/07/2014 के प्रभाव से 100 प्रतिशत के स्थान पर 107 प्रतिशत मंहगाई राहत की स्वीकृति ।

वित्त विभाग के संकल्प सं०–4568, दिनांक– 28/05/2014 के द्वारा राज्य सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक–01/01/2014 के प्रभाव से 100 प्रतिशत की दर से मंहगाई राहत की स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

2. भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप-एफ० नं०–42/10/2014–P&PW(G) दिनांक–29/09/2014 के द्वारा केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक–01/07/2014 के प्रभाव से मंहगाई राहत की दर को 100 प्रतिशत से बढ़ाकर 107 प्रतिशत किया गया है ।

3. राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया है कि–

(i) राज्य सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक–01/07/2014 के प्रभाव से पुनरीक्षित पेंशन में 100 प्रतिशत के स्थान पर 107 प्रतिशत की दर से मंहगाई राहत का भुगतान किया जायेगा ।

(ii) मंहगाई राहत का भुगतान मूल पेंशन के आधार पर परिगणित कर किया जायेगा ।

(iii) मंहगाई राहत की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे को अगले रुपये में पूर्णांकित कर दिया जाएगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा ।

(iv) उपर्युक्त मंहगाई राहत की राशि का नगद भुगतान किया जायेगा ।

(v) उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के पेंशनधारियों को पुनरीक्षित पेंशन में उक्त मंहगाई राहत का भुगतान मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय, पटना /अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति से देय होगा ।

0711140823

4. पेंशन पर मंहगाई राहत का भुगतान पुनर्नियोजित पेंशनरों सहित उन पेंशनभोगियों को भी देय होगी जिन्हें क्षतिपूर्ति पेंशन, वार्धक्य पेंशन, सेवानिवृति एवं असमर्थता पेंशन प्राप्त है । औपबंधिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं असाधारण पेंशन पानेवाले को भी यह राहत देय होगी । अनुकंपा के आधार पर नियुक्त होने की स्थिति में पारिवारिक पेंशन पर मँहगाई राहत देय नहीं होगी ।

5. पेंशनभोगियों को इस मंहगाई राहत के भुगतान में विलम्ब के परिहार हेतु बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 206 के अन्तर्गत महालेखाकार, बिहार से बिना प्राधिकार के ही राहत के भुगतान का आदेश राज्य के अन्दर पेंशन लेने वालो के मामले में दिया जाता है । कोषागार पदाधिकारियों को यह भी निदेश दिया जाता है कि बैंकों के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने वाले पेशनभोगियों को त्वरित भुगतान कराने के लिए वे सार्वजनिक क्षेत्र के सभी अधिकृत बैंकों को इसकी प्रतियाँ भेज दें । बिहार राज्य के बाहर मंहगाई राहत की निकासी महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार पत्र पर ही की जा सकती है । महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों से संबंधित महालेखाकारों को अविलम्ब पेंशन राहत भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाय तथा इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाय ।

6. दिनांक–01/07/2014 के प्रभाव से स्वीकृत मंहगाई राहत भुगतान करते समय पूर्ववर्त्ती कंडिकाओं में निहित प्रावधानों का दृढ़ता से पालन किया जाय तथा इस मद में भुगतान की जाने वाली राशि की शुद्धता की जांच हर हाल में प्रत्येक भुगतान के समय कर ली जाय। ऐसा करना भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेदारी होगी ।

आदेश–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।

ह0/–

(प्रभात शंकर)

विशेष सचिव, वित्त विभाग ।

ज्ञापांकः–3ए–3–वे0पु0 (भत्ता)–08/2013–9556–वि0 पटना, दिनांकः–**17/10/2014**

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

17-X-14

(प्रभात शंकर)

विशेष सचिव, वित्त विभाग ।

संख्या-3ए-2-वे०पु०(भत्ता)-08/2013-**9557-वि0**

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

पटना, दिनांकः-**17/10/2014**

विषयः- अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दि०-01/07/2014 के प्रभाव से मंहगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति ।

वित्त विभाग के संकल्प सं0-4569, दिनांक-28/05/2014 के द्वारा अपुनरीक्षित वेतन प्राप्त करने वाले राज्य कर्मियों को दिनांक-01/01/2014 के प्रभाव से 200 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति दी गयी थी ।

2. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापांन सं०-1/3/2008-E-II(B), दिनांक-25/09/2014 द्वारा अपुनरीक्षित वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे केन्द्रीय कर्मियों (यानि जिनका वेतन पुनरीक्षण 01/01/2006 से नहीं हुआ है) को दिनांक 01/07/2014 के प्रभाव से मंहगाई भत्ता/राहत की पूर्व स्वीकृत दर 200 प्रतिशत को संशोधित करते हुए 212 प्रतिशत की स्वीकृति दी गई है ।

3. राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य कर्मियों/पेंशनभोगियों को दिनांक 01/07/2014 के प्रभाव से मंहगाई भत्ता/राहत की दरों में निम्नवत् संशोधन करने का निर्णय लिया गया है-

(क) दिनांक 01/01/2006 के पूर्व एवं दिनांक 01/01/1996 के प्रभाव से लागू पुनरीक्षित वेतनमान (सम्प्रति अपुनरीक्षित) में वेतन प्राप्त करने वाले कर्मियों तथा जिनको 01/01/2005 के प्रभाव से मूल वेतन के 50 प्रतिशत राशि के समतुल्य मंहगाई भत्ता की राशि को मंहगाई वेतन के रूप में लाभ दिया जा चुका है, को दिनांक 01/07/2014 के प्रभाव से मंहगाई भत्ता/राहत की दर 200 प्रतिशत से बढ़ाकर 212 प्रतिशत किया जाता है ।

(ख) मंहगाई भत्ता/राहत की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा ।

(ग) मंहगाई भत्ता/राहत का मूल वेतन/पेंशन एवं मंहगाई वेतन/पेंशन के सम्मिलित योग के आधार पर परिगणित कर किया जाएगा किन्तु विशेष वेतन/वैयक्तिक वेतन पर मंहगाई भत्ता/राहत अनुमान्य नही होगा ।

(घ) मंहगाई भत्ता/राहत की गणना में 50 पैसे से ऊपर की राशि पूर्ण रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा तथा 50 पैसे कम राशि को छोड़ दिया जायेगा ।

4. पेंशन पर मंहगाई राहत का भुगतान पुनर्नियोजित पेंशनरों सहित उन पेंशनभोगियों को भी देय होगी जिन्हें क्षतिपूर्ति पेंशन, वार्धक्य पेंशन, सेवानिवृति एवं असमर्थता पेंशन प्राप्त है । औपबंधिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं असाधारण पेंशन पानेवाले को भी यह राहत देय होगी । अनुकंपा के आधार पर नियुक्त होने की स्थिति में पारिवारिक पेंशन पर मँहगाई राहत देय नहीं होगी ।

5. कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबन्धिक रूप से कर दिया जाएगा ।

6. पेंशन भोगियों को इस मंहगाई राहत के भुगतान में विलम्ब के परिहार हेतु बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 206 के अंतर्गत महालेखाकार, बिहार से बिना प्राधिकार के ही राहत के भुगतान का आदेश राज्य के अन्दर पेंशन लेने वालों के मामलों में दिया जाता है । कोषागार पदाधिकारियों को यह भी आदेश दिया जाता है कि बैंकों के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों को त्वरित भुगतान कराने के लिए वे सभी सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकृत बैंकों को इसकी प्रति भेज दें । बिहार राज्य के बाहर मंहगाई राहत की निकासी महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार पत्र पर ही की जा सकती है । महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों से संबंधित महालेखाकार को अविलम्ब पेंशन राहत भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाय तथा इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाय ।

7. उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान में उक्त मंहगाई भत्ता/राहत का भुगतान मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति से देय होगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(प्रभात शंकर)

विशेष सचिव, वित्त विभाग ।

ज्ञापांक:-3ए-2-वे०पु०(भत्ता)-08/2013-9557-वि0 पटना, दिनांक:-17/10/2014

प्रतिलिपिः-महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(प्रभात शंकर)

विशेष सचिव, वित्त विभाग ।